न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–47/17

1. राजेश कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति हरिजन, निदेशक कम्पीटेन्ट बिल्डटेक, प्रा.लि. दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 01.05.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के आदेश दिनांक 30.10.2015 (प्रकरण संख्या 45/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अर्पालार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम गाड़ोता की आराजी खसरा नम्बर 263/2 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 268/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/2 के खातेदार श्री भूरा पुत्र हरदेव, जाति चमार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कम्पीटेन्ट बिल्डटेक प्रा,लि, कार्यालय 410, डी सेक्टर–7, रोहिणी दिल्ली 85 जरिये निदेशक राजेश कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति हरिजन, निवासी 6/74 वैशाली गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश के नाम नामान्तरकरण संख्या 486 पटवारी हल्का गाड़ोता द्वारा भरकर ग्राम पंचायत गाड़ोता के समक्ष पेश किया गया तथा ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही लम्बित होने के बावजूद तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर सम्बन्धित प्रभावित पक्षकार को बिना किसी प्रकार न तो नोटिस दिया और न ही विधिवत सुनवाई का मौका दिये ही तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि कम्पनी के नाम हस्तान्तरण होने को धारा 42(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुय नामान्तरकरण खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की किन्तु उक्त अपीलीय न्यायालय ने भी वर्तमान अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत समस्त कानूनी बिन्दुओं को उद्रत करने के बाद भी केवल मात्र अपील को इस आधार पर अस्वीकार किया कि कम्पनी व्यक्ति की परिभाषा में नही आती है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.83 हैक्टयर जो कि ग्राम व पटवार क्षेत्र गाड़ोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित

P.T.O.

है के मूल खातेदार भूरा पुत्र हरदेवा 1/2 हिस्सा रतनी गोपाल हिस्सा 1/8 शान्तिदेवी जाति बैरवा, सा. देह खातेदार थे तथा वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार भूरा पुत्र **हरदेव** द्वारा दिनांक 11.08.2006 को श्रीमती सोनीदेवी पत्नी हरफूल व मंगीलाल पुत्र किशन को जरिये पंजीकृत मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया, इस पंजीकृत मुख्त्यारआम के माध्यम से खातेदार भूरा पुत्र **हरदेवा** ने अपने हिस्से की आराजी की देखभाल एवं विक्रय करने की जिम्मेदारी श्रीमती सोनीदेवी पत्नी हरफुल व मांगीलाल पुत्र किशन को सौप दी थी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 11.09.2006 को उक्त आराजी जिसके मूल खातेदार भूरा पुत्र हरदेवा जाति चमार थे, के मुख्त्यारआम राजेश कुमार पुत्र सत्यनारायण दास, जाति हरिजन निदेशक कम्पीटेन्ट बिल्डटेक, प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 410, डी–16, सेक्टर 7, रोहिणी दिल्ली–85 को जरिये पंजीकृत बैनामा विक्रय करके दी तथा उसी दिन कब्जा भी सौप दिया, क्रेता उस दिन से आज दिनांक तक काबिज काश्त है, इस विक्रय पत्र में विक्रेता चमार जाति के है तथा क्रेता हरिजन जाति के है जो दोनों ही भारतीय संविधान की अनुसूचि के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूची में सूचिबद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार इन जातियों के मध्य क्रय–विक्रय किया जा सकता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकारी/न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है, जो अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलने की प्रक्रिया के दौरान हल्का पटवारी गाड़ोता द्वारा दिनांक 22.09.2006 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत गाड़ोता द्वारा यह आदेश दिया गया कि उक्त विक्रय पत्र की जांच के बाद निर्णय आगामी बैठक दिनांक 05.10.2006 को लिया जायेगा तथा दिनांक 05.10.2006 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विक्रय पत्र एवं विक्रय की जांच कर अपनी रिपोर्ट का इस आशय का अंकन किया कि उक्त विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सही है, इस रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत कोई निर्णय लेती इससे पूर्व ही तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर एवं अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर निर्विवाद प्रकरण को अनावश्यक रूप से विवादित बनाते हुए बिना पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अवैधानिक रूप से तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि कम्पनी के नाम हस्तान्तरण होने का धारा 42(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुये नामान्तरकरण खारिज कर दिया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को यथावत रख कर वैधानिक त्रुटि की है, जो आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2015 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 486 को बहाल करने का न्यायोचित आदेश प्रदान करें।

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार भूरा पुत्र हरदेव कौम चमार द्वारा कम्पीटेन्ट बिल्डटेक प्रा0 लि0 जो कि एक कम्पनी है को विवादित आराजी का बेचान किया गया है यदपि उक्त कम्पनी के निदेशक राजेश कुमार पुत्र सत्यनारायण दास हरिजन जाति से है जो अनुसूचित जाति की ही श्रेणी में आती है किन्तु उक्त कम्पनी के कार्यकारी मण्डल में अन्य जाति के लोग भी हो सकते है तथा उक्त कम्पनी के कार्यकारी मण्डल द्वारा भविष्य में किसी अन्य जाति के व्यक्ति को भी निदेशक बनाया जाना संभावित है। ऐसी स्थिति में चूँकि किसी भी कम्पनी की कोई जाति नही होती है तथा वादग्रस्त आराजी का अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा कम्पनी को बेचान किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) का उल्लंघन होने से तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 486 आदेश दिनांक 04.11.2006 को खारिज किया गया है जिसे उचित ठहराने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2015 पारित किया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रृटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।